

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

2023-267RAAJodhpur2023-121RTA223 Dalpatsingh Vs Malamsingh etc
2023-223RAAJodhpur2023-112RTA223 Dalpatsingh Vs Malamsingh etc

दलपतसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत, निवासी- केतु कला,
तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म



01. मालमसिंह पुत्र रूपसिंह,
02. गुड्डी कंवर पत्नी विरदसिंह
03. रेवतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
सभी जातियान् राजपुत, निवासीगण- केतु कला, तहसील
सेखाला, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17
अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद
संख्या 139/2022 मालमसिंह बनाम गुड्डी कंवर इत्यादि

(02)2023-223RAAJodhpur2023-112RTA223 Dalpatsingh Vs Malamsingh etc

दलपतसिंह पुत्र पेपसिंह जाति राजपूत, निवासी- केतु कला,
तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. मालमसिंह पुत्र रूपसिंह,
02. गुड्डी कंवर पत्नी विरदसिंह
03. रेवतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
सभी जातियान् राजपुत, निवासीगण- केतु कला, तहसील
सेखाला, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24
अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद
संख्या 139/2022 मालमसिंह बनाम गुड्डी कंवर इत्यादि

उपस्थित—

श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता—अपीलाण्ट
श्री पी.एस. भाटी, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 4

निर्णय



दिनांक : 17 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 139/2022 अनवान मालमसिंह बनाम गुड्डी कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 10 जुलाई 2023 एवं दिनांक 22 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से अपील संख्या 121/2023 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनों अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग-अलग निर्णय प्रति रखी जावे।


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1170/5 रकबा 1.7159 हैक्टेयर ग्राम मोकमगढ तहसील सेखाला के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 पारित कर तहसीलदार सेखाला से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 121/2023


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत की गई। तहसीलदार सेखाला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 112/2023 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1170/5 रकबा 1.7159 हैक्टेयर अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। विवादित भूमि का बंटवाड़ा संबंधित पक्षकारों के द्वारा पूर्व में ही तहसीलदार कार्यालय में किया जा चुका है तथा उसका राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है एवं उस बंटवाड़े के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामांतरकरण दर्ज किया जा चुका है तथा उस नामांतरकरण की अपील भी माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष लंबित है। ऐसी दशा में उक्त भूमि का दुबारा बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व बंटवाड़े को रेकॉर्ड पर लेते हुए उस पर गौर करने की आवश्यकता था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत कार्मिक संतोष के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों की अपीलांट पर फर्जी तामील करवायी जाकर तामील कुनिंदा के रूप में संतोष का नाम दर्ज है, किंतु संतोष द्वारा उक्त सम्मनों की तामील करवाये जाने से इंकार किया है तथा फर्जी तामील की जांच हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा वक्त विभाजन अपीलांट को सूचित ही नहीं किया गया है। नियमानुसार विवादित भूमि की हर किस्म में हिस्सा दिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा वादी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य में से उसके कहे अनुसार



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियाँ प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि-विरुद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 139/2022 अनवान मालमसिंह बनमा गुड्डी कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह सभी सहखातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये पक्षकारान् के हक-हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।


विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 121/2023 प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 पारित कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1170/5 रकबा 1.7159 हैक्टेयर में से वादी के 7/106 हक-हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार सेखाला को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(11) तथा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए बंटवाड़े में रास्ते का उल्लेख करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अपने हक-हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर खारिज योग्य है

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.04.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर गये किबना तथा अपीलांट को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में द्वारा नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंतिम डिक्री विधिविरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं उठरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांत द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 अप्रैल 2023 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 121/2023 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील संख्या 112/2023 स्वीकार किये जाने योग्य पाये से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 139/2022 अनवान मालमसिंह बनाम गुड्डी कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24 अप्रैल 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार सेखाला से उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर, उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिनुसार दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर